



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला अधिकारिता, बीकानेर



Email-bikaner.we@rajasthan.gov.in, ph.- 01512226018

महलक्ष्मी महिला राष्ट्रीय केंद्र पंचायत समिति परिसर, बीकानेर

क्रमांक २२३

दिनांक २४-४-२३

विज्ञप्ति संख्या ०१/२०२३-२४

जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों के सम्मुख अंकित ग्राम पंचायतों में साथिन के रैयिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु विभागीय आदेश 108508 दिनांक 19.08.2021 के क्रम में उपनिदेशक, महिला अधिकारिता बीकानेर कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम व ई-मेल आईडी.	परियोजना/ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम
1		लूणकरणसर	रोझा, महाजन
2	कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता, धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, पंचायत समिति परिसर, बीकानेर	नोखा	लालमदेसर छोटा
3		पुगल	रामनगर, तख्तपुरा, सादोलाई, पुगल
4		खाजूवाला	3PWM
5		कोलायत	खायूरार, टोकला, रणधीसर, हाड़ला भाटियान
6		बज्जू	बीकमपुर, भूरासर
7		श्रीड़ेगरगढ़	जोधासर, जालवसर, धनरु, गुसाईसर बड़ा

- आवेदन फार्म मय संलग्न दस्तावेज दिनांक 25.05.2023 सांय ५ बजे तक कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा जमा करवाये जा सकेंगे।
- विज्ञप्ति के संबंध में ग्राम साथिन रिक्त पदों तथा पात्रता इत्यादि विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(मेघा रत्न)
 उप निदेशक
 महिला अधिकारिता
 बीकानेर

क्रमांक २२५-५७

दिनांक २४-४-२३

क्रमांक : म.अ./ सा.चयन/ 2022-23/

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- श्रीमान् आयुक्त महिला अधिकारिता राजस्थान, जयपुर।
- श्रीमान् मुख्य कार्यालयी अधिकारी, जिला परिषद्, बीकानेर।
- विकास अधिकारी पंचायत समिति, पुगल, खाजूवाला, कोलायत, बज्जू, ढूंगरगढ़, नोखा, लूणकरणसर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को रिक्त साथिन पद पर चयन हेतु ग्राम पंचायतों में व्यापक प्रचार-प्रसार कर अंतिम तिथि तक अधिकतम आवेदन इस कार्यालय में भिजवाने बाबत् निर्देशित करावे।
- बाल विकास परियोजना अधिकारी समस्त।
- प्रचेता/सुपरवाईजर महिला अधिकारिता ब्लॉक समस्त को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विज्ञप्ति चस्पा कर व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे।
- सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी संबंधित ग्राम पंचायत को व्यापक प्रचार-प्रसार कर अधिकतम आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करे।
- प्रोग्रामर महिला अधिकारिता राज. जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
- संपादक, राजस्थान पत्रिका बीकानेर को भेजकर निवेदन है कि बीकानेर जिले के ग्रामीण एवं शहरी संस्करण में डीआइपीआर की दरों पर न्यूनतम साईज में विज्ञप्ति प्रकाशित करने का श्रम करावे।
- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा, ब्लॉक/पंचायत समिति में चस्पा हेतु।
- रक्षित पत्रावली।

(मेघा रत्न)
 उप निदेशक
 महिला अधिकारिता
 बीकानेर



साथिन की भर्ती से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश

1. पंचायत समिति वार साथिन के रिक्त पदों की स्थिति :-

क्रं. सं.	कार्यालय का नाम व ई-मेल आई.डी.	परियोजना / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत का नाम
1	कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता , धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र, पंचायत समिति परिसर, बीकानेर Email- bikaner.we@rajasthan.gov.in	लूणकरणसर	रोझा, महाजन
2		नोखा	लालगढ़ेसर छोटा
3		पुगल	रामनगर, तख्तापुरा, सादोलाई, पुगल
4		खाजूवाला	3PWM
5		कोलायत	खाखूसर, टोकला, रणधीसर, हाडला भाटियान
6		वज्जू	बीकमपुर, भूरासर
		श्रीड़ेगरगढ़	जोधासर, जालवसर, धनेरू, गुसाईसर बड़ा

2. (A) चयन हेतु वांछित पात्रता :-

- स्थानीय निवासी होना :— आवेदक स्थानीय ग्राम पंचायत की मूल निवासी होनी चाहिए। (मूल निवासी होने के आधार हेतु दस्तावेजों की छाया प्रति मददाता पहचान-पत्र/राशन कार्ड/जन आधार कार्ड/आधार कार्ड/मूल निवास प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति अधिकारी/सरपंच द्वारा जारी प्रमाण-पत्र में किया जाये) विधवा/तलाकशुदा महिला को ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार निवासी माना जा सकेगा।
- आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने संबंधी घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना अनिवार्य है।
- वैवाहिक स्थिति :— आवेदन हेतु महिला का विवाहित होना आवश्यक नहीं है।
- शैक्षणिक योग्यता :— साथिन पद हेतु न्यूनतम दसवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है।
- आयु :— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होगी, लेकिन अनूसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता एवं विशेष योग्यजन(गति आधारित प्रमस्तिक घात, रोगमुक्त कुछ, बौनापन, तेजाब आक्रमण के पीड़ित, पेशीय दुष्प्राप्ति) के प्रकरण में आयु 45 वर्ष तक की होगी। (विज्ञप्ति जारी होने की तिथि को)
- चयन हेतु प्रमाण पत्र के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र व पुनर्विवाह नहीं किया है, इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा।
- परित्यक्ता व तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी इत्यादि) से जारी आदेश/डिक्री की छायाप्रति को आवश्यक रूप से दस्तावेजों में संलग्न किया जाये।
- चयन हेतु मूल्यांकन मानदण्ड :— साथिन चयन हेतु उनके मूल्यांकन मानदण्ड संलग्न परिशिष्ट व के अनुसार होगा, जिसमें अलग-अलग बिन्दुओं के अलग-अलग अंकभार निर्धारित होगे।
- श्रेणीवार आरक्षण :—
 - जिन ग्राम पंचायत में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनूसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, उस ग्राम पंचायत में उसी वर्ग की महिला का चयन अनिवार्य किया जाएगा।
 - सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि समत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी-लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा। एक बार क्रीमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण-पत्र जारी होने के उपरान्त भी अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी क्रीमी-लेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण-पत्र

को ही मान लिया जाये , ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है) अर्थात् आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी—लेयर का प्रमाण—पत्र विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जायेगे व इस संबंध मे समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होगे।

(B) चयन प्राथमिकता :— चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट “ब” पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंकभार के अनुसार देय होगी।

(C) आवेदन की अंतिम तिथि :—

- आवेदन फार्म मय संलग्न दस्तावेज कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा दिनांक 25.05.2023 सांय 5 बजे तक जमा करवाये जा सकेगे।
- पता :— कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर , धनलक्ष्मी केन्द्र पंचायत समिति बीकानेर। , ई—मेल आई.डी. Email-bikaner.we@rajasthan.gov.in

(D) अन्य दिशा निर्देश :—

1. उक्त मानदेयकर्मी साथिन पद पूर्णतया स्वैच्छिक है तथा विभागीय परिपत्र की शर्तों व निर्देशों के अध्याधीन है।
2. आवेदक फार्म परिशिष्ट “अ” उपनिदेशक कार्यालय या विभागीय वेबसाईट www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त किये जा सकते है।
3. अन्यथा अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन परिशिष्ट अ प्रपत्र (3 प्रतियों) में इस कार्यालय में कार्यदिवस मे व्यक्तिशः/रजि. डाक दिनांक 25.05.2023 को सांय 5 बजे तक जमा करा सकेगी।
4. विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् अथवा विज्ञप्ति के दौरान किसी ग्राम पंचायत में साथिन मानदेय पद की रिक्ती के संबंध मे किसी भी प्रकार के विवाद/संशय/स्पष्टीकरण की स्थिति में उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।
5. इस संबंध में विस्तृत जानकारी कार्यालय उपनिदेशक महिला अधिकारिता बीकानेर से प्राप्त की जा सकती है।


(मेघा रत्न)
उप निदेशक
महिला अधिकारिता
बीकानेर

औंगनवाडी कार्यकर्ता/मिनी औंगनवाडी कार्यकर्ता/शिशु पालना गृह कार्यकर्ता/आशा
राहयोगिनी/साथिन/साहायिका पद हेतु आवेदन पत्र

बाल विकास परियोजना/साहायक निवेशक : जिला :

ग्राम पंचायत/शहरी निकाय का नाम.....

राजस्व नाम/वार्ड

औंगनवाडी केन्द्र/ग्राम पंचायत का नाम

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

मानदेश सेवा पद.....

(जिसके लिए आवेदन किया गया है)

1. आवेदक का नाम

2. पति का नाम

3. पिता का नाम

4. पत्र व्यवहार का पता

5. मोबाइल नम्बर.....

6. आवेदक की भेल आइ डी-

7. जन्म तिथि

8. आयु वर्ष, माह

(विज्ञप्ति जारी होने/करने की तिथि के आधार पर)

9. वर्ग

(i) अनुजाति जनजाति अल्पसंख्यक ओ.वी.सी. सामान्य

एसबीसी आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS)

(ii) आदिम व धुमन्तुजाति आदिम व धुमन्तु जनजाति

(iii) दिव्यांग जन (गति आधारित)

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण—पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

10. वैवाहिक स्थिति—विवाहित विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण—पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

यहाँ अपना पासपोर्ट
साइज़ फोटो चिपकाएं

11. विवाह की तिथि
 (सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या)

12. शैक्षणिक योग्यता का विवरण :-

क्र. सं.	उत्तीर्ण कक्षा	वर्ष	विद्यालय/बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विशेष विवरण
1	8वीं			
2	सैकण्डरी			
3	हाई सैकण्डरी			
4	नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (NTT)/DPSE			
5	स्नातक			
6	स्नातकोत्तर			
7	विज्ञान या जीव विज्ञान में और पोषण विज्ञान वर्ग में स्नातक या स्नातकोत्तर			
8	कम्प्यूटर कोर्स (RS-CIT / RS-CFA) /PGDCA			
9	ANM/GNM/Ayurved Nursing			
10	अन्य			

13. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी/शिशु पालना गृह/साधिन के रूप में कार्यानुभव (प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

14. अन्य योग्यता का विवरण—

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.....)

15. (i) बीपीएल (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित)

(ii) NFSA/अन्त्योदय

(जो लागू हो टिक करें एवं सक्षम स्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न करें, संलग्नक पृष्ठ संख्या.)

16. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि :-

(अगले पृष्ठ पर जारी).....

संलग्न दस्तावेज़ (सभी दस्तावेजों की स्वप्रभागित प्रति संलग्न करें) :-

(संलग्न किये गये दस्तावेजों पर टिक करें तथा अन्य को काट देवें)

क्र. सं.	योग्यता दस्तावेज	हैं / नहीं	संलग्नक पृष्ठ संख्या
1	अधिकृतम् शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
2	नसरी टीचर ट्रेनिंग (NTT) योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
3	सैकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र		
4	स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र <ul style="list-style-type: none"> ● मतदाता पहचान-पत्र ● राशन कार्ड ● आधार कार्ड ● जन आधार कार्ड 		
5	विवाह पर्जियन प्रमाण-पत्र		
6	अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र		
7	आदिम व धुमन्तु जाति/आदिम व धुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र		
8	दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र		
9	जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र		
10	RSCIT प्रमाण-पत्र / PGDCA		
11	कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो)		
12	बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो)		
13	NFSA/अन्त्योदय काड		
14	विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र		
15	अन्य		

दिनांक -----

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

घोषणा

- मैं शपथपूर्वक घोषणा करती हूँ कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी/सूचनाएं मेरी जानकारी अनुसार सत्य एवं पूर्ण हैं। मैंने कोई सूचना नहीं छिपाई है। यह जानकारी/सूचनाएं असत्य अथवा अप्रामाणिक पाये जाने पर मेरा आवेदन निरस्त होने पर मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूँगी।
- मुझे विदित है कि आवेदित पद पूर्णतः मानदेय आधारित, अस्थायी एवं स्वैच्छिक सेवा भावना से कार्य करने का पद है।

3. मैं यह भी धोखा करती हूँ कि मेरे घर मैं शीघ्रालय है, जिसका नियमित उपयोग किया जाता है।
4. मेरे द्वारा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर दिये हैं। आवेदन के बाद किसी भी दस्तावेज को संलग्न करने हेतु अनुशोध नहीं करकी।
5. मेरे पति की मृत्यु दिनांक को हो चुकी है/ मैं दिनांक से तलाकशुदा हूँ/ मैं दिनांक से परित्यक्ता हूँ तथा मैंने पुनर्विवाह नहीं किया है। मैंने सकाम रत्तर से जारी किया गया प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया है। (लागू होने पर ही भरा जायें)।

दिनांक

हस्ताक्षर (आवेदनकर्ता)

रसीद यहाँ से फाढ़कर आवेदनकर्ता को दी जाएं
(आवेदन पत्र प्राप्ति की रसीद कार्यालय उपयोग हेतु)

- श्रीमती पत्नी श्री निवासी
से औंगनबाड़ी केन्द्र के लिए मानदेय सेवा पद
हेतु आवेदन पत्र मय निम्नलिखित संलग्नों सहित प्राप्त किया गया।
1. अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 2. सेकेण्डरी की अंकतालिका/प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 3. स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र भतदाता पहचान-पत्र आवार कार्ड
राशन कार्ड संलग्नक पृष्ठ संख्या
 4. विवाह पंजियन प्रमाण- पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 5. अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 6. आदिम व घुमन्तु जाति/आदिम व घुमन्तु जनजाति का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 7. दिव्यांग जन (गति आधारित) का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 8. जीएनएम/आयुर्वेद नर्सिंग/एएनएम का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 9. RSCIT प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 10. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र(यदि लागू हो) संलग्नक पृष्ठ संख्या
 11. बी पी एल कार्ड (केन्द्र सूची अनुसार) (यदि लागू हो) संलग्नक पृष्ठ संख्या
 12. NFSA/अन्त्योदय कार्ड संलग्नक पृष्ठ संख्या
 13. विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा का प्रमाण-पत्र संलग्नक पृष्ठ संख्या
 14. अन्य संलग्नक पृष्ठ संख्या

हस्ताक्षर (आवेदन जमा करने वाले के)
दिनांक हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

साधिन चयन हेतु मूल्यांकन प्राप्ति

जिले का नाम:- पंचायत समिति का नाम:-
ग्राम पंचायत का नाम:-

क्र. सं.	मापदण्ड	विस्तृत विवरण	लंबा भार	पूर्णक	प्राप्तांक
1	शैक्षणिक योग्यता	स्नातक से अधिक	6		
		स्नातक	4		
		12वीं पास या समकक्ष योग्यता	3	5	
		10वीं पास या समकक्ष योग्यता	2		
2	श्रेणी	8 वीं पास की अंकतालिका / प्रमाण पत्र	1		
		अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति	3		
		पिछ़ा वर्ग / अल्पसंख्यक	2	9	
		आर्थिक रूप से पिछ़ा वर्ग (CWS)	2		
		सामाज्य	1		
3	विशेष योग्यता	गति आधारित विद्यागणन (गति आधारित- प्रमस्तिष्ठ घात, रोगमुक्त तुल्य, बीनापन, तेजाव आकमण के पौष्टि, पैशीय दुष्प्रोषण)	2	2	
		उच्चतम कम्प्यूटर कार्ड (PCDCA/ 'O' Level/ Tally etc.) का प्रशिक्षण प्राप्त	2		
		RSCIT या बेसिक (आधारभूत) कम्प्यूटर कार्ड का प्रशिक्षण प्राप्त	1		
4	कार्यानुभव	सहायिका/आशा सहयोगिनी/साधिन के रूप में 1 वर्ष का कार्यानुभव	2	2	
5	ज्योति योजना	ज्योति योजना के लाभार्थी (अस्पताल द्वारा जारी नसबन्दी प्रमाण पत्र के आधार पर)	1	1	
6	NFSA / अन्त्योदय / बीपीएल / भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	NFSA में सम्मिलित/अन्त्योदय बीपीएल कार्ड (केन्द्र सरकार की सूची में सम्मिलित), भारत सरकार के सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में पात्र	2	2	
7	विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा	विधवा / परित्यक्ता / तलाकशुदा	3	3	
समाप्ति				20	

(viii) समान अंक आने की स्थिति :-

- दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक होने की स्थिति में निम्न क्रम भें वरीयता दी जाएगी-
 - 1. विधवा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की विधवा हुई हो।
 - 2. तलाकशुदा, इनमें भी समान होने पर जो सबसे कम उम्र की तलाकशुदा हुई हो।
 - 3. अधिकतम आयु वाली महिला

2

उक्त में भी दो या अधिक आवेदकों के बराबर अंक व एक ही जन्म दिनांक की महिला होने की स्थिति में निम्न वरीयता प्रदान की जाये—

वरीयता	विषय
प्रथम	10वीं कक्षा में प्राप्तांक/12 वीं कक्षा में प्राप्तांक/विज्ञान में जीव विज्ञान या पोषण विज्ञान वर्ग से स्नातक में प्राप्तांक /स्नातकोत्तर में प्राप्तांक
द्वितीय	कम्प्यूटर में उच्चतम योग्यता
तृतीय	NTT/DPSE Course, Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan Or B.Ed/BSTC Approved by NCTE and conducted with approval/consent of State Government of Rajasthan.

(ix) श्रेणीवार आरक्षण —

- जिन केन्द्रों के कवरेज क्षेत्रों में जनसंख्या का 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/जनजाति/अल्पसंख्यक वर्ग का है, को उन केन्द्रों हेतु अनिवार्यतः उसी वर्ग की महिला का चयन किया जाएगा। कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या की गणना मुख्यतया औंगनबाड़ी सर्व रजिस्टर के आधार पर एवं साथिन के लिए उप/सहायक निदेशक कार्यालय की सूचना के आधार पर ही की जानी चाहिए।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जारी परिपत्र क्रमांक 45955 दिनांक 08.08.2019 के अनुसार पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयर के जारी प्रमाण पत्र संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता संबंधी तथ्य को 3 वर्ष के लिए विधि सम्मत शपथ पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी। (क्रीमी-लेयर में नहीं होने संबंधित प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए दी जायेगी। एक बार क्रीमी-लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के मान्य होगा। एक बार क्रीमी-लेयर में नहीं होने हैं तो ऐसी स्थिति में उसे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी जाति प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है।) अर्थात मान लिया जाये, ऐसा अधिकतम 3 वर्ष तक किया जा सकता है। अर्थात आवेदक महिला का पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी-लेयर का प्रमाण पत्र विज्ञाप्ति जारी होने की तिथि से 3 वर्ष पूर्व तक के ही स्वीकार किये जाएंगे व इस सम्बंध में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।

(B) चयन प्राथमिकता—

- चयन की प्राथमिकता परिशिष्ट 'ब' पर दिए गए मूल्यांकन प्रपत्र में वर्णित मापदण्डों व उनके अंक भार के अनुसार देय होगी।

(C) शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता—

(अ) शहरी क्षेत्र—

शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं में कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, शिशु पालनागृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी को शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता किसी भी स्थिति में देय नहीं होगी।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र-

- महिलाओं में शैक्षणिक पिछलेपन की स्थिति वाले जिले (1) बाडमेर (2) जैसलमेर (3) जालौर (4) प्रतापगढ़ (5) सिरोही (6) टॉक (7) उदयपुर (8) बांरा जिले के सहरिया बाहुल्य किशनगंज व शाहबाद क्षेत्र में स्थित ग्रामीण न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता देते हुए औंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी औंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशुपालना गृह कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी हेतु 10वीं पास एवं साधिन व सहायिका हेतु 8वीं पास महिला का चयन किया जा सकता है। उक्त चयन के लिए ग्राम सभा के प्रस्ताव में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की कोई महिला चयन हेतु उपलब्ध नहीं है।

2. आवेदन की अंतिम तिथि :-

- आवेदन फॉर्म ऑन-लाईन विभागीय वेब साइट पर दिये गये लिंक के माध्यम से निर्धारित दिनांक तक स्वीकार्य होंगे।
- ऑन-लाईन भरे गये आवेदन पत्र की हार्ड कापी मय संलग्न दस्तावेजों के सम्बन्धित उप/सहायक निदेशक मअ/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में कार्यालय में व्यक्तिशः/रजि. डाक द्वारा सम्बन्धित परियोजना कार्यालय में निर्धारित दिनांक सायः 5.00 बजे तक जमा कराये जा सकेंगे।
- संबंधित उप/सहायक निदेशक मअ/बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालयों के फोन नम्बर व ई-मेल आईडी. :-